हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/21	आज यह प्रा०पत्र अंतर्गत धारा -151 जा० दी० के तहत प्रार्थीगण ने मय वकील उप० होकर इस आशय का पेश किया कि विवादित आ०ख०नं० 54/0.12, 55/0.36, 796/0.07 वाके ग्राम सोमका तह० पहाडी में स्थित है प्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा मुन्नी बनाम उन्नस विचाराधीन था। उक्त दावा दि० 13/12/2019 को एकपक्षीय डिक्री किया गया। उक्त डिक्री के आधार पर विवादित आराजी में से 1/2 हिस्सा वादी मुन्नी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके उपरान्त प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक प्रा०पत्र उनवानी उन्नस बनाम मुन्नी अंतर्गत आदेश 09 R 13 जा०दी० पेश किया। उक्त प्रा०पत्र न्यायालय श्रीमान द्वारा दि० 14/03/2021 को स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय आदेश / डिक्री दि० 13/12/19 अपास्त किये गये है। आराजी अभी अप्रार्थी मुन्नी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार पहाडी को आदेशित किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड मे न्यायालय की डिक्री 13/12/2019 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी एवं प्रा०पत्र / संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रा०पत्र आदेश 09 R 13 जा०दी० का दिनांक 25.03.21 को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निस्तारण किया गया है। मूल दावा उनवान मुन्नी बनाम उन्नस मे भी दोनों पक्षकारान उपस्थित हैं एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 19/05/21 नियत है। अतः एकपक्षीय डिक्री से पूर्व की स्थिति को राजस्व रिकॉर्ड मे बहाल किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र अंतर्गत आदेश 151 जा०दी० स्वीकार	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाता है। तहसीलदार पहाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे एकपक्षीय डिक्री दि० 13/12/2019 से पूर्व की स्थिती को राजस्व रिकॉर्ड में बहाल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)